भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2207

31 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

एंटीबायोटिक्स का दुरुपयोग और पैकेजिंग पर चेतावनी

2207. डॉ. राजकुमार सांगवान:

क्या मंत्री **स्वास्थ्य** एवं **परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:

(क) क्या सरकार ने देश में एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग के प्रतिकूल प्रभावों का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है, यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह तथ्य है कि देश में एंटीबायोटिक्स की पैकेजिंग पर स्पष्ट चेतावनियों/प्रतीकों के अभाव के कारण इनका अनुपयुक्त और अत्यधिक उपयोग हो रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार एंटीबायोटिक्स के बढ़ते दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए इनकी पैकेजिंग पर विशेष कोडिंग, कलर- कोडिंग, स्पष्ट चिन्हों, चेतावनियों या क्यूआर कोड को अनिवार्य करने का विचार कर रही है ताकि मरीज और फार्मासिस्ट दवा की पहचान कर सकें, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने सूचित किया है कि उसने अपने रोगाणुरोधी प्रतिरोध निगरानी और अनुसंधान नेटवर्क (एएमआरएसएन) के माध्यम से रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) के बढ़ते स्तरों का दस्तावेजीकरण करने के लिए व्यापक निगरानी अध्ययन किए हैं। यह राष्ट्रव्यापी नेटवर्क कई अस्पतालों में प्रमुख जीवाणु और कवक रोगजनकों में प्रतिरोध पैटर्न की निगरानी करता है और इसके माध्यम से जीवों के मामले में जैसे कि *ई. कोलाई, क्लेबसिएला, स्टैफिलोकोकस ऑरियस* और अन्य प्राथमिकता वाले रोगजनकों के संबंध में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले एंटीबायोटिक दवाओं के लिए बढ़ते प्रतिरोध का दस्तावेजीकरण किया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व के रोगजनकों में एएमआर पर डेटा नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है:

https://www.icmr.gov.in/icmrobject/uploads/Report/1763981012_icmramrsnannualreport2024.pdf

https://www.icmr.gov.in/icmrobject/uploads/Documents/1725536060_annual_report_2023.pdf

आईसीएमआर ने यह भी सूचित किया है कि जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली के सहयोग से उसने अस्पताल से प्राप्त संक्रमणों को कम करने और प्रतिरोधी जीवों के प्रसार को सीमित करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केन्द्रों में सशक्त संक्रमण निवारण और नियंत्रण (आईपीसी) पद्धतियों को बढ़ावा दिया है। इसके अतिरिक्त, आईसीएमआर एंटीबायोटिक दवाओं के तर्कसंगत निर्धारण को सुनिश्चित करने, दवा के चयन, इलाज के लिए खुराक और चिकित्सा की अवधि को अनुकूलित करने, चिकित्सक के पर्चे की जांच (प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट) करने और स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए रोगाणुरोधी प्रबंधन कार्यक्रम (एएमएसपी) के कार्यान्वयन का समर्थन करता है, ताकि रोगाणुरोधी प्रतिरोधी रोगजनकों के उद्भव और संचरण की गति धीमी की जा सके।

केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) सहित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एंटीबायोटिक पर्चियों की निगरानी और विनियमन विशेष रूप से काउंटर पर बिक्री के लिए, दुरुपयोग को रोकने और एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) मुद्दों का समाधान करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं:

(i) एंटीबायोटिक्स को औषध नियमावली, 1945 की अनुसूची एच और एच1 में शामिल किया गया है। इन दवाओं में विशिष्ट सावधानी लेबलिंग आवश्यकताएं होती हैं और इन्हें केवल एक पंजीकृत चिकित्सक के पर्ची के तहत बेचा जाता है।

(ii) औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 को दिनांक 01. 03. 2014 से संशोधित किया गया था जिसमें एक नई अनुसूची एच1 को शामिल किया गया तथा जिसमें विभिन्न एंटीबायोटिक्स, क्षय रोग रोधी औषधियां और कतिपय आदत बनाने वाली औषधियां शामिल हैं। अनुसूची एच1 में विनिदष्ट औषध की आपूर्ति को आपूर्ति के समय एक अलग रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और ऐसे रिकार्ड तीन वर्षों तक रखे जाते हैं और ये निरीक्षण के लिए उपलब्ध होते हैं।

(iii) एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग के प्रतिकूल प्रभावों के संबंध में आवश्यकताओं का कड़ाई से अनुपालन करने और जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य औषध विनियामकों और अन्य हितधारकों को विभिन्न नोटिस/परामर्शी/पत्र जारी किए गए हैं।

(iv) देश में औषधों की बिक्री को औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत नियम, 1945 के उपबंधों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों (एसएलए) द्वारा लाइसेंसिंग और निरीक्षण की प्रणाली के माध्यम से विनियमित किया जाता है। एसएलए को उक्त अधिनियम और नियमों के उपबंधों के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कानूनी रूप से शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(v) राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि वे जेनेरिक औषधियों के नुस्खे सुनिश्चित करें और जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में नियमित रूप से प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट करें। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों (एनक्यूएएस) के तहत प्रमाणित होने के लिए प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट की प्रथा आवश्यक शर्तों में से एक है।

(vi) एंटीबायोटिक दवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और एएमआर के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) ने ऑडियो, वीडियो, सोशल मीडिया संदेश और आउटडोर मीडिया सहित मीडिया सामग्री तैयार की गई है जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और आगे प्रसार के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा भी किए गए हैं।

(vii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को जागरूक करने के लिए रेड लाइन अभियान शुरू किया है जिसके तहत मुख्य रूप से एंटीबायोटिक्स की दवाओं की पैकेजिंग पर लाल वर्टिकल (ऊर्ध्वाधर) रेखा के साथ चिह्नित किया जाता है और अन्य प्रिस्क्रिप्शन पर दी जाने वाली दवाओं को चिकित्सक के पर्चे के बिना नहीं दी जानी चाहिए।

औषधि नियम, 1945 के नियम 96 और 97 के तहत रोगाणुरोधी के लिए लेबलिंग आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं। औषधि नियम, 1945 को वर्ष 2023 में नियम 96 के उप-नियम (6) को जोड़कर संशोधित किया गया है ताकि यह अनिवार्य किया जा सके कि अनुसूची एच2 में सूचीबद्ध शीर्ष 300 दवा फॉर्मूलेशन ब्रांड जिसमें कतिपय रोगाणुरोधी भी शामिल हैं, के निर्माता प्राथमिक पैकेजिंग लेबल पर या द्वितीयक लेबल पर जहां जगह अपर्याप्त है, बार कोड या क्यूआर कोड प्रिंट करेंगे या चिपकाएंगे ताकि प्रमाणन के लिए सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के माध्यम से पठनीय डाटा संग्रहीत किया जा सके।
